सूचना का अधिकार

अधिनियम,2005

स्वयं घोषित की जाने वाली सूचनायें

उत्तराखण्ड जल संस्थान

उत्तराखण्ड

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य एवं कर्तव्य

Manual-I

Particulars of Organization, functions and Duties

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	प्रदेश की जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का विकास ।
2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन	प्रदेश की जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का विस्तार एवं सुधार सामाजिक न्याय के अन्तर्गत जनता को न्यूनतम शुल्क पर पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग ।	उ0 प्र0 शासन / सरकार द्वारा 02.10.75 को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास हेतु गढ़वाल जल संस्थान एवं कुमायॅू जल संस्थान का गठन किया गया। उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य का गठन होने के उपरान्त उत्तरांचल जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त, 2002 के द्वारा गढ़वाल एवं कुमायॅू जल संस्थान का एकीकरण करके एक निगमित निकाय उत्तरांचल जल संस्थान के नाम से गठन किया गया, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य में है।
2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य,	उत्तरांचल जल संस्थान की सम्पूर्ण अधिकारिता राज्य में होने के कारण प्रदेश की जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास एवं जनता को न्यूनतम शुल्क पर पेयजल आपूर्ति एवं सीवर सम्बन्धी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	जल संस्थान के निम्न कृत्य होंगें– (1) जल सम्भरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना। (2) जहां साध्य हो, वहां सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन। (3) अपने कार्य कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो, वहां दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके। (4) ऐसे अन्य उपाय करना हो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। (5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपें।
2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण।	(1) जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। (2) सीवर सम्बन्धी सेवाएं एवं तत्सम्बन्धी ऐसी सेवाएं जो समय–समय पर राज्य सरकार आदेशित करें। (3) अन्य सेवायें जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये।
2.7 लोक प्राधिकरण की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की एकल गांव की पेयजल योजनाओं के रखरखाव को ग्राम पंचायतों के अधीन करने के उद्देश्य से

	अधिकारों का संक्रमण किया गया तथा अन्य योजनायें ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित की जा चुकी है। बहुल ग्राम की योजनाओं के बेहतर रखरखाव के लिए ग्राम स्तर एवं ब्लाक स्तर पर जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सहभागिता एवं सहयोग के उपाय किये गये।
2.8 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था ।	विभिन्न स्तरों पर गठित संवैधानिक समितियां जैसे बी0डी0सी0, जिला पंचायत इत्यादि में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है जिससे जनता की आकांक्षाओं के अनुरुप योजनाओं के संचालन पर सार्थक कार्यवाही की जा सके।
2.9 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था।	सेवा से सम्बन्धित जनता / उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर इनके निराकरण के लिए public grievance committee का गठन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त कार्यालय) होगें। अध्यक्ष के अलावा अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं लेखाकार इस कमेटी के सदस्य होंगे। जनता से प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण एवं निराकरण करने हेतु प्रत्येक माह में एक बैठक होगी, कमेटी के अध्यक्ष द्वारा स्थान व समय निर्धारित किया जायेगा तथा तदनुसार कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जायेगा, जैसा कमेटी के अध्यक्ष उचित समझेंगें। 2–प्रत्येक कार्यालय में शिकायत पंजिका का रखरखाव किया जाता है, जिसमें शिकायत दर्ज करने पर प्रभावी अनुश्रवण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जायेगा। 3– ग्रीष्म ऋतु अथवा अन्य आपातकालीन स्थिति में कन्ट्रोल रुम की स्थापना की जाती है, जहां शिकायत दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल–संख्या–1
उत्तरांचल जल संस्थान
संगठन की विशिष्टिया, कृत्य और कर्तव्य
(The Particulars of its organisation, Functions and Duties)

कुमायूँ तथा गढ़वाल के क्षेत्रों में जल संभरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार किये जानें के लिए जल संस्थान के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार स्वायत्त शासन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 4342/9–4–2/डब्लू एस0बी0 1–75 लखनऊ 21जून, 1975 के द्वारा उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था हेतु ''कुमांयू डिविजन जल संस्थान'' ''गढ़वाल डिविजन जल संस्थान'' के नाम से जल संस्थान गठित किया जाय। इन जल संस्थानों को अपने–अपने डिवीजन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकारिता प्रदान की गयी।

कुमांयूँ डिवीजन जल संस्थान का मुख्य कार्यालय नैनीताल में और गढ़वाल डिवीजन जल संस्थान का मुख्य कार्यालय पौड़ी में स्थापित किया गया ।उत्तरांचल शासन पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1920/नौ–2(63पे.)/2002 देहरादून 29 जुलाई, 2002 से अधिसूचना जारी होने की तिथि से जनपद हरिद्वार के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था के अनुरक्षण एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य गढ़वाल जल संस्थान के अधीन किया गया।

<u>उत्तरांचल जल संस्थान का गठन</u>– उत्तरांचल शासन, पेयजल अनुभाग, की अधिसूचना संख्या 2083/नौ–2–(41अधि0)/2002 देहरादून, 26 अगस्त, 2002 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 86 के अधीन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तरांचल राज्य में भी यथावत् लागू है। अतएव उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम,1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 43, सन् 1975) की धारा 18 की उपधारा (1), (2), (3), (6) एवं उपधारा (8) की उपधारा (ग) व (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल '' कुमायूँ परिक्षेत्र जल संस्थान'' एवं ''गढ़वाल परिक्षेत्र' जल संस्थान'' को आमेलित कर इस अधिसूचना के निर्गत होने के तिथि से ''उत्तरांचल जल संस्थान'' नामक निकाय गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है, और यह विनिर्दिष्ट किया गया कि उक्त जल संस्थान की उत्तरांचल राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र की जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) पर अधिकारिता होगी और मुख्यालय देहरादून में होगा। उत्तरांचल शासन पेयजल अनुभाग, की अधिसूचना संख्या 3231/नौ–2(12 अधि0)/2001 देहरादून दिनांक 07 नवम्बर, 2002 के द्वारा–

(1) मूल अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कुमायूँ तथा गढ़वाल जल संस्थान के एकीकरण के फलस्वरुप गठित ''उत्तरांचल जल संस्थान'' की सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में अधिकारिता है, जिसका पदेन अध्यक्ष सचिव, पेयजल उत्तरांचल जल संस्थान है।

(II) उपधारा (1) में उल्लिखित पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य है–

(क) मुख्य महाप्रबन्धक ।

(ख) राज्य सरकार का वित्त सचिव– पदेन सदस्य।

(ग) राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव–पदेन सदस्य।

(घ) राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव–पदेन सदस्य।

(ड.) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक–पदेन सदस्य।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित, एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान–सदस्य ।

(ज) उत्तरांचल पेयजल ससाधन विकास एवं निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक–पदेन सदस्य।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है।

(4) उपधारा (2) के उपबन्ध (ख), (ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ड.) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकने की व्यवस्था है। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार है।

जल संस्थान के कृत्य– जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य हैंः–

(1) जल सम्भरण की योजनाएं बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना;

(2) जहॉ साध्य हो, वहां सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन;

(3) अपने कार्य कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोंगो को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहॉ साध्य हो वहां दक्ष सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके;

(4) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे ।

जल संस्थान की शक्तियां– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो विनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(2) अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियॉ भी प्रदान की गई है।

(1) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल सम्भरण, सीवर–व्यवस्था और सीवरेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना;

(2) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर आधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग, सड़क, मार्ग स्थान से होकर, उसके आर–पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति–युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्य करना;

(3) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना;

(4) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे;

(5) प्रतिवर्ष अपना बजट अभीस्वीकृत करना;

(6) राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायें;

(7) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(8) राज्य सरकार से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना ।

शक्तियों का प्रतिनिधापन– अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुर्नावलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या मुख्य महाप्रबन्धक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को धारा 44 और 50 में इंगित शक्तियों तथा कर्तव्य को छोड़ कर प्रतिनिहित कर सकने की व्यवस्था है।

पदों का सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति– (1) जल संस्थान अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण सम्पादन के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का सृजन कर सकता है ।

राज्य सरकार धारा 27–क के अधीन नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नियुक्ति के निबर्न्धन और शर्तों का अवधारण सरकार के अनुमोदन से किये जाने की व्यवस्था है।

अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण मुख्य महाप्रबन्धक मे निहित किया गया है।

उपभोक्ताओं से विवाद– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम है।

जल संस्थान के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त– जल संस्थान के इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय–समय पर इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित कर सकता, जिससे की वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके ।

उद्ग्रणीय कर (Taxes leviable)– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित भू–गृहादि दर,–

(क) जहां क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहां क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर,उद्ग्रहीत करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित कर ऐसी दर पर उद्ग्रहीत किये जाने की व्यवस्था है, जो भू–गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, राज्य सरकार, जल संस्थान की, सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय–समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा धोषित कर सकती है।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण – (1) धारा 52 के प्रयोजनार्थ, ''वार्षिक मूल्य'' का तात्पर्य–

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्थान (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दुकान और, वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में परिभाषित है) की दशा में, भू–गृहादि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत,

(ख) किसी अन्य भू–गृहादि की दशा में, ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू–गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू–गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर भू–गृहादि की युक्तियुक्ततः किराये पर दिये जाने की आशा हो, से हैः

प्रतिबंध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू–गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(2) धारा 52 में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(4) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह –कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायेगा।

(5) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा 54 के अधीन की गई अपील पर उसमें किये गये किसी फेरफार के अधीन रहते हुये, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत गृह–कर के प्रयोजनों के लिये भी भू–गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायेगा।

देय करों तथा अन्य धनराशि की वसूली– (1) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल –परिब्यय उच्छिष्ट जल–विस्तारण–परिब्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मद्दे देय कोई धनराशि भूराजस्व के बकाया के रुप में वसूल की जा सकेगी।

(2) उपधारा(1) की कोई बात,उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में, जल संस्थान की उपविधियों के अनुसार जल सम्भरण संयोजन काटन की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी।

सहायता देने का स्थानीय निकायों का कर्तव्य – (1) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान की ऐसी मदद और ऐसी सहायता देगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए), ऐसे अभिलेख, मानचित्र ,नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अपेक्षित हों।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय मांग किये जाने पर भू–गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर, फीस तथा परिव्यय उद्‌गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण मूल्य पर उपलब्ध करायेगी ।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपवन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और तदोपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

कर का भुगतान करने का दायित्व(1) धारा–52 में उल्लिखित कर–

(क) यथास्थिति, जल संस्थान के जल सम्भरण या सीवर से सम्बद्ध भू–गृहादि की दशा में भू–गृहादि के अध्यासी से ,

(ख) ऐसे भू–गृहादि की दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू–गृहादि के स्वामी से वसूल कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) अन्तर्गत आने वाले मामले में, जहॉ ऐसा भू–गृहादि एक से अधिक अध्यासियों को किराया पर, दिया जाए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से अध्यासी से कर की वसूली समीचीन न पायी जाए, वहॉ जल संस्थान अपने विकल्प पर कर का उद्धग्रण अध्यासी से करने के बजाए स्वामी से कर सकती है।

(2) ऐसा कोई स्वामी जिससे उपधारा–1 के प्रतिवन्धात्मक खण्ड के अधीन कर का उद्‌ग्रहण किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उसे अध्यासी से वसूल कर सकता है।

जल परिव्यय (Cost of water)–(1) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा अपने द्वारा सम्भरीत जल का परिव्यय, उसके परिणाम के अनुसार और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में किया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निषिद्ध कर सकता है।

(2) जल संस्थान परिमाण के अनुसार जल परिव्यय लेने के बजाए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उक्त अवधि जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण की परिभाषा– इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिए जल संभरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिए संभरण से है, अर्थात:

(क) व्यापार, विनिर्माण का व्यवसाय के लिये,

(ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ

(ग) भवन निर्माण के लिये, जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है,

(घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा हौज, सार्वजनिक स्नानगृह या टंकियों के लिये या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये

(ड) ऐसे पशूओं के लिये, यदि वे विक्री या किराये पर देने के लिए अथवा उनके उत्पाद की विक्री के लिये रखे जाते हों,

(च) किसी जलपान गृह में या किसी होटल, वीडिंग हाउस या नैवासिक क्लब (residential club) के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये,

(छ) नाट्‌यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपयोग तथा प्रयोग के लिये,

(ज) मार्गों पर छिड़काव के लिये , या

(झ) गाड़ियो को,यदि वे विक्री या किराये पर देने के लिए रखी जाती हों, धोने के लिये।

जल के अपव्यय पर प्रतिषेध – (1) ऐसे भू–गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वारा जल सम्भरित किया जाय, स्वामीया अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा,और न हीं उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिसे कि जल का अपव्यय हो।

(2) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो किसी सेवा पाइप या टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणाम स्वरुप जल का अपव्यय

हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।
(3) यदि विर्निदिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपबंध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ताओं से वसूल कर सकता है।

<u>जल सम्भरण काट देने की शक्ति–</u>(1) जल संस्थान किसी भू–गृहादि के जल सम्भरण को काट सकता है –
(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात 15 दिन की अवधि के भीतर न किया जाय, अथवा
(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो, उपभोक्ता इस अधिनियम तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उप–विधि के उपबन्धों का उलंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है, अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दिये रहता है, अथवा
(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुॅचाता है या ऐसी क्षति पहुॅचने देता है, अथवा
(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे भू–गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता है जहां जल संभरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण –कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो,अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक की कोई निर्माण– कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है, अथवा
(ड.) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या काई टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है, जिससे जल का अपव्यय या अपदूषण होता है, और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है, अथवा
(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपबन्धों का उलंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटायें, उसकी मरम्मत करायें या अन्य प्रकार से उसमे हस्तक्षेप करें अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दें । अथवा
(छ) यदि सेवा पाइप या टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण– कार्य में श्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुॅचती है और तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो।
(ज) यदि उपभोक्ता जल संस्थान को अपने जल संयोजन में मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है या मीटर देने के लिये प्रतिभूति जमा करने से इन्कार करता है ।
(2) इस धारा के अधीन या इसके अनुशरण में की गई कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो ।
(3) जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन काटे गये जल संभरण को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने और ऐसे निवन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है।

<u>उद्भावना(Goodfaith) से किये गये कार्य का संरक्षण–</u> कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, जल संस्थान अथवा जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार, या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम,विनियम या

उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यायत अथवा आशयित हो।

<u>विनियम</u>– (1) जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, जल संस्थान के कार्य–कलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात –

(क) जल संस्थान की बैठके बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जांय, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या,

(ख) जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य,

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें,

(घ) जल संस्थान की सम्पति का प्रबन्ध,

(ड0) जल संस्थान की ओर संविदाओं और सम्पति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन ,

(च) वह सीमा जिस तक मुख्य मह्मपबन्धक किसी वित्तीय वर्ष में आर्वतक या अनावर्तक व्यय, धारा–50 की उपधारा (1) के अधीन विवरण पत्र में सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे।

(छ) जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिठ्ठा तैयार किया जाना,

(ज) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्रक्रिया,

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हों या की जा सके।

(3) जब तक उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जांय, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखण्डित कर सकता है।

संख्या–413 / XXIX(1)/08-(58 58 अधि.)/2002

प्रेषक

एम0एच0 खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 16 अक्टूबर, 2008

विषयः– उत्तराखण्ड जल संस्थान के पुनरीक्षित ढ़ांचे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक–498 / कार्मिक / 01 / सं0ढ़ांचा / 24 / 2007–08 दिनांक 02.05.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या–2083 / नौ–2–(41 अधि.) / 2002 दिनांक 26 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान'' का गठन किया गया है तथा शासनादेश संख्या–1207(1) / नौ–2–(58 अधि.) / 2002 दिनांक 24 जून, 2003 द्वारा 4194 पदों का सृजन किया गया था। उत्तराखण्ड जल संस्थान के सृजित संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढ़ांचे का गठन निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	**02**	**03**	**04**
1	मुख्य महाप्रबन्धक (मुख्य अभियन्ता स्तर–1)	16400-450-20000	01
2	महाप्रबन्धक (मुख्य अभियन्ता स्तर–2)	14300-400-18300	03
3	सचिव (प्रशासन)	12000-375-16500	01
4	सचिव (अप्रैजल)	12000-375-16500	01
5	सचिव (अनुसन्धान एवं नियोजन)	12000-375-16500	01
6	सचिव सामग्री एवं राजस्व	12000-375-16500	01
7	अधीक्षण अभियन्ता	12000-375-16500	09
8	अधिशासी अभियन्ता	10000-325-15200	28
9(क)	सहायक अभियन्ता {सिविल}	8000-275-13500	112
(ख)	सहायक अभियन्ता {वि0यां0}	8000-275-13500	

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	**02**	**03**	**04**
(ग)	सहायक अभियन्ता (कम्प्यूटर साइन्स)	8000-275-13500	
10(क)	कनिष्ठ अभियन्ता {सिविल}	5000-150-8000	
(ख)	कनिष्ठ अभियन्ता {वि0यां0}	5000-150-8000	263
(ग)	कनिष्ठ अभियन्ता (कम्प्यूटर साइन्स)	5000-150-8000	
11	वित्त निदेशक	संवर्ग के अनुसार	01
12	वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ सम्परीक्षाधिकारी	10000-325-15200	03
13	लेखाधिकारी/ सम्परीक्षाधिकारी **(स्टाफिंग पैटर्न)**	8000-275-13500	05
14	सहायक लेखाधिकारी/ सहायक सम्परीक्षाधिकारी **(स्टाफिंग पैटर्न)**	7450-275-11500	05
15	लेखाकार/ वरिष्ठ सम्परीक्षक **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5500-175-9000	109
16	सहायक लेखाकार/ कनिष्ठ सम्परीक्षक **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4500-125-7000	28
17	विधि अधिकारी	8000-275-13500	01 (वाह्य स्रोतो से)
18	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी **(स्टाफिंग पैटर्न)**	6500-200-10500	02
19	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5500-175-9000	11
20	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5000-150-8000	20
21	मुख्य सहायक **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4500-125-7000	81
22	प्रवर सहायक **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4000-100-6000	97
23	कनिष्ठ सहायक **(स्टाफिंग पैटर्न)**	3050-75-3950-80-4590	119
24	कनिष्ठ सहायक सह डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	3050-75-3950-80-4590	02
25	दफ्तरी	2650-65-3300-70-4000	06
26	अनुचर/चौकीदार	2550-55-2660-60-3200	135
27	वरिष्ठ कैमिस्ट	6500-200-10500	02
28	कैमिस्ट	5000-150-8000	03
29	संगणक	4500-125-7250	28
30	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	6500-200-10500	02
31	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5500-175-9000	05
32	आशुलिपिक ग्रेड–1 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5000-150-8000	11
33	आशुलिपिक ग्रेड–2 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4000-100-6000	18
34	कर एवं राजस्व निर्धारण अधिकारी	8000-275-13500	01

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	**02**	**03**	**04**
35	सहायक कर एवं अधीक्षक	5000-150-8000	06
36	राजस्व अधीक्षक	4500-125-7000	06
37	कर एवं राजस्व निरीक्षक	4000-100-6000	08
38	पम्प हाउस अधीक्षक	4500-125-7000	07
39	शिफ्ट इंचार्ज (हैड पम्प आपरेटर)	4000-100-6000	36
40	पम्प आपरेटर	3050-75-3950-80-4590	270
41	पम्प अटैन्डेन्ट	2750-70-3875-75-4400	150
42	पम्प हाउस अधीक्षक (विद्युत)	4500-125-7000	02
43	हैड इलैक्ट्रिशियन	4000-100-6000	06
44	विद्युतकार	3050-75-3950-80-4590	25
45	फोरमैन फिल्टर हाउस	4000-100-6000	04
46	फिल्टर ऑपरेटर	2750-70-3875-75-4400	20
47	फिल्टर अटैन्डेन्ट	2650-65-3300-70-4000	28
48	हैड फिटर	3050-75-3950-80-4590	25
49	पाइप लाइन फिटर (अनर्ह/अर्ह)	3050-75-3950-80-4590	423
50	जूनियर फिटर	2650-65-3300-70-4000	600
51	सहायक लाइनमैन	2550-55-2660-60-3200	1200
52	वाहन चालक ग्रेड–1 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	5000-150-8000	01
53	वाहन चालक ग्रेड–2 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4500-125-7000	08
54	वाहन चालक ग्रेड–3 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	4000-100-6000	08
55	वाहन चालक ग्रेड–4 **(स्टाफिंग पैटर्न)**	3050-75-3950-80-4590	10
56	सफाई सुपरवाईजर	3050-75-3950-80-4590	09
57	सीवर मिस्त्री	2750-70-3875-75-4400	20
58	सीवर बेलदार	2550-55-2660-60-3200	57
59	मीटर निरीक्षक	4500-125-7000	04
60	सहायक मीटर निरीक्षक	4000-100-6000	14
61	मीटर रीडर	3050-75-3950-80-4590	82
62	मानचित्रक	4000-100-6000	06
63	हैड वर्क्स अटेन्डेन्ट	2750-70-3875-75-4400	02
64	हैड ब्राडमा ऑपरेटर	4500-125-7000	02
65	ब्राडमा ऑपरेटर	4000-100-6000	03
66	फोरमैन वर्कशाप	4000-100-6000	01
67	मीटर मैकेनिक	3050-75-3950-80-4590	24
68	फिटर वर्कशाप	2750-70-3875-75-4400	01
69	राजमिस्त्री	2750-70-3875-75-4400	04
70	पम्प मैकेनिक	2650-65-3300-70-4000	01
71	लौहार	2750-70-3875-75-4400	02
72	वर्क सुपरवाईजर	2650-65-3300-70-4000	15

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	**02**	**03**	**04**
73	बिलप्यून	2550-55-2660-60-3200	31
74	हैल्पर	2550-55-2660-60-3200	03
75	अर्दली	2550-55-2660-60-3200	14
76	जल वितरक	2550-55-2660-60-3200	01
77	पी पी ए	2550-55-2660-60-3200	01
78	पत्रवाहक	2550-55-2660-60-3200	01
79	फैरोबॉय	2550-55-2660-60-3200	01
80	लैबप्यून	2550-55-2660-60-3200	01
81	क्लीनर/पम्प क्लीनर	2550-55-2660-60-3200	05
82	माली	2550-55-2660-60-3200	04
कुल योग			**4267**

2– उत्तराखण्ड जल संस्थान के संगठनात्मक ढ़ांचे में उपरोक्त विवरणानुसार कुल 4267 पदों पर सहमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर प्रदान की जा रही है :–

1. उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम के संविलयन की स्थिति में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पुनरीक्षित ढ़ांचे के कतिपय स्तरों के पदों की आवश्यकता का आंकलन कर पदों का पुनः निर्धारण किया जायेगा।
2. उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित पदो ंके विवरण में (क्रमांक–59 से 82 तक) अंकित समस्त पद पर पदधारकों के सेवा में बने रहने तक की स्वीकृत रहेंगे एवं जैसे–जैसे पदधारक सेवानिवृत्त होंगे उक्त सृजित पद स्वत समाप्त माने जायेगे। क्रमांक–47 पर फिल्टर अटैन्डेन्ट का पद उक्त संवर्ग का पोषक संवर्ग है। अतः इसे मृत संवर्ग घोषित नहीं करके उक्त संवर्ग के पदों की संख्या में कमी न कर पुनर्गठित पद रखे गये है।
3. उत्तराखण्ड जल संस्थान के पुनरीक्षित ढ़ांचे में स्वीकृत महाप्रबन्धक के 01 अतिरिक्त का कार्यालय मुख्यालय, देहरादून में रहेगा।
4. क्रमांक–17 पर विधि अधिकारी का पद आउट सोर्सिंग से भरा जायेगा।
5. जिन कार्यों का सम्पादन वाह्य स्रोतों से किया जा सकता है तथा जहॉ बदली हुई परिस्थितियों में पद की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उनको चिन्हित करते हुए मृत संवर्ग घोषित किया जायेगा। ऐसे घोषित मृत संवर्ग में पद धारक तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है।
6. उत्तराखण्ड जल संस्थान के उक्त पुनर्गठित ढ़ांचे में पूर्व में स्वीकृत संवर्ग/पदनाम के किसी भी कर्मी को वेतनमान में प्राप्त वेतनमान से अधिक वेतनमान देय नहीं होगा। यदि किसी वेतनमान में विसंगति दृष्टिमान होती है, तो उसका निस्तारण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
7. लेखा एवं लेखा परीक्षा, आशुलिपिक संवर्ग एवं चालक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार व्यवस्था की जा रही है। अतः राज्य सरकार की स्टाफिंग पैटर्न के शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था संगत सेवा नियमों में करके ही उक्त पैटर्न के अनुसार मात्राकृत पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1470/XXXII(7)/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एम.एच. खान)
सचिव

<u>संख्या–413/XXIX(1)/08-(58 58 अधि.)/2002 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, नगर विकास उ.प्र. शासन लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
11. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी।
12. वित्त (वे0आ0–सा0वि0अनु0–7)।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पॅवार)
संयुक्त सचिव

संख्या–1207/नौ–2–(58 अधि0)/2008

प्रेषक,

सी0 एम0 बेरी,
अपर सचित
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाना देहरादून दिनांक :– 24 जून, 2003

विषयः– उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढाचे का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि अधिसूचना संख्या 2083/नौ–2–(41अधि)/2002, दिनांक 26 अगस्त, 2002 द्वारा तत्कालीन कुमायूँ जल संस्थान तथा गढवाल जल संसीन का संविलयन कर ''उत्तरांचल जल संस्थान'' का गठन राज्य स्तरीय संस्थान के रूप में किया गया हैं। उत्तरांचल (उ0 प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल जल संस्थान के बोडे का भी गठन किया गया हैं। उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढॉचे का (पूर्व में सृजित पदों को समायोजित करते हुए) गठन निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदो की संख्या
1	अध्यक्ष (सचिव, पेयजल उत्तरांचल शासन, पदेन)		
2	मुख्य महाप्रबन्धक	16400–20000	01
3	महाप्रबन्धक	14300–18300	02
4	वित्त निदेशक	14300–18300	01
5	सचिव (प्रशासन/अप्रेजल) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	02
6	उप महाप्रबन्धक (सामग्री) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	01
7	उप महाप्रबन्धक (वि0 यां0) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	01
8	उप महाप्रबन्धक (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	09
9	प्रबन्धक (अधिशासी अभियन्ता)	10000–15200	28
10	वरिष्ठ लेखधिकारी/ वरिष्ठ संपरीक्षाधिकारी	10000–15200	3
11	सहायक प्रबन्धक (सहायक अमियंता)	8000–13500	86
क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदो की संख्या
12	लेखाधिकारी/संपरीक्षाधिकारी	8000–13500	07
13	विधि अधिकारी	8000–13500	01

14	प्रशासनिक अधिकरी	8000—13500	01
15	सहायक लेखाधिकारी / सहायक संपरीक्षाधिकारी	6500—10500	05
16	कार्यालय अधिक्षक	4500—7250	04
17	अवर अधियन्ता	5000—7250	208
18	वरिष्ट कैमिस्ट	6500—10500	01
19	आशुलिपिक (प्रथम)	4500—7250	14
20	लेखाकार	5000—8000	33
21	मुख्य लिपिक	4000—6000	33
22	लेखा एवं राजस्व सहायक / सहायक मीटर निरिक्षक	4000—6000	85
23	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050—4590	15
24	मानचित्रक	4000—6000	11
25	लेखा एवं राजस्व उप सहायक	3050—4590	312
26	संगणक	4000—6000	04
27	सहायक कर अधीक्षक / राजस्व अधीक्षक / राजस्व लेखाकार / कलिष्ठ संप्रेक्षक / आडिट / केमिस्ट / पंप हाऊस अधीक्षक / मीटर निरीक्षक	4000—6000	26
28	आशुलिपिक (द्वितीय) हैड बाड़मा आपरेटर / कर एवं राजस्व निरीक्षक / फारमैन	4000—6000	19
29	मीटर रीडर / चालक / इलेक्ट्रीशियन / हैड फिटर / मीटर मैकनिक / जलकर / सुपरवाईजर	3050—4500	204
30	मीटर आपरेटर / मशीनिष्ट / पंप इजन ड्राइवर / राज मिस्त्री / फिटर / पंप आपरेटर / फिटर वर्क शाप	2750—4400	759
31	बेलदार / अनुचर / माली चौकीदार / फिटर / अटेनेडेन्ट / पंप अंटेन्ड़ेन्ट / जूनियर फिटर / पंप मैकनिक / / दप्तरी / सीवर बेलदार आदि	2610—3540 2550—3200	2318
		योग—	4194

2. उत्तरांचल जल संस्थान के संगठनातमक ढ़ाचे में उपरोक्त विवरणानुसार कुल 4194 पदो पर सहमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही हैः—

1. इन पदों के सृजन के उपरांत विनियमितीकरण आदि की प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक वििाग कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त कर लेगें, और अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही विनियमितीकरण की कार्यवाही करेगें।

2. किसी भी दशा में नई नियुक्तियॉ नही की जायेगी। समस्त तैनातियॉ विभाग अथवा जल निगम में सरप्लस कर्मियों में से ही रिडिप्लायमेन्ट (Redeployment) के आधार पर की जायेगी। इसके बाद भी यदि कोई पद रिक्त रहता हैं तो उसको भरने के लिए पुनः वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी, जो वास्तविक वर्कलोड के आधार पर निर्धारित होगा।

3. इस संरचनात्मक ढॉचे में किसी भी कर्मी को वेतनमान वही देय होगा जो बजाज समिति द्वारा संस्तुत है। यदि किसी पदधारक को पूर्व में से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है तो वह पदधारक व्येकतिक रूप से पूर्व में उक्त स्वीकृत वेतनमान प्राप्त करता रहेगा और तदोपरांत यह पद स्वतः ही समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान में परिवर्तित हो जायेगा।

4. उपरोक्त प्रस्तर –1 में उल्लिखित पदो के विवरण में (क्रमांक 27 से 31 तक) सफाई, सुरक्षा तथा माली आदि एवं उक्त पदो के अन्य कार्य जो वे आवश्यक समझे, से संबंधित कार्य ठेके पर कराये जाने के संबंध में प्रशासनिक विभाग स्वतः विचार कर लेगा। वर्तमान पदधारक के सेवा मे बने रहने तक ही पद स्वीकृत रहेगा, एवं तदांपरांत इस प्रकार के संवर्ग मृतसंवर्ग घोषित कर दिये जायेगें। मृत घोषित संवर्ग के पदधारक की सेवानिवृत्ति के उपरांत ठेके (Out Sourcing) के आधार पर ही कार्य लिया जायेगा।

5. महाप्रबन्धक आदि पदो का पदनाम वही रखा जायेगा जो पूर्व मे जल संस्थान में स्वीकृत है।

6. उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढांचे में मुख्य महाप्रबन्धक का मुख्यालय देहरादून रहेगा, दोनो मण्ड़ल कुमायूॅ तथा गढवाल मुख्यालयों पर एक – एक महाप्रबन्धक के कार्यालय का मुख्यालय रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 वृत्त कार्यालय तथा 27 खण्डीय कार्यालय स्थापित होगें, जिसके संबंध में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदनोंपरांत शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी। उपमहाप्रबन्धक (सामग्री) तथा उपमहाप्रबन्धक (विद्युत / यान्त्रिक), अन्य उपमहाप्रबन्धको के साथ अन्तरपरिवर्तनीय (interchangeable) रहेगें।

7. यह आदेश वित्त विमाग के अशासकीय सं0 561 / वित्त अनुभाग–3 / 2003 दिनांक 3 जुन, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

(सी0 एम0 बेरी)
अपर सचिव

पृ0 सं0 1207 (1) / नौ–2–(58 अधि0) / 2002, तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2– सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव, नगर विकास उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

4— अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
5— प्रमुख सचिव, सार्वजनिक अद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल शासन।
6— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
7— समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
8— आयुक्त, गढवाल/ कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
11— निजल सचिव, मा0 पेयजल मंत्री।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचित